

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र



75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura Industrial Area  
अजमेर-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)  
Email-ro.ajmer@ibm.gov.in

Mine Code: 38RAJ09009

दिनांक : 06.09.2022

संख्या : RAJ/CHT/LST-11

प्रेषित : मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड,  
आर.के. नगर, तहसील-निम्बाहेड़ा,  
जिला-चित्तोड़गढ़(राजस्थान) 312601

Email- info@wondercement.com, mk.bokadia@wondercement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Bhatkotri Limestone Mine** (M.L. 22/2007, Lease area 740.93 Hect.) in Chittorgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 29.07.2022 by the undersigned in presence of Shri M.K. Bokadia, HOD(Mines):

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 19.12.2018) for the year 2021-22 : 1) Infrastructure i.e. New Mine office, Stacker Reclaimer Establishment work on progress towards eastern side of the lease area between grid 1950E to 2200E & 400S to 100N which were not proposed in the approved review of mining plan. 2) Screen reject dumping has been proposed between local grid 935S to 1040S & 310E to 580E whereas it was dumped on existing screen reject dump. 3) Total 392m retaining wall proposed at the bottom of waste dump during the reporting year but no such wall was made.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय  
06/09/2022  
( जी. आर. गुजर )  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चित्तोड़गढ़।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो